इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2024—पौष 28, शक 1945

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2024

आर—2696—2020—सत्रह—मेडि—1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. हिन्दी पाठ में, नियम 1 के उप—नियम (1) में, नियमों के शीर्षक में अंक '2020' के स्थान पर, अंक '2022' स्थापित किए जाएं।
2. हिन्दी पाठ में, अनुसूची—एक में, तकनीकी (औषधि परीक्षण प्रयोगशाला) के संदर्भ में, अनुक्रमांक 8 में, कालम संख्या (3) में, अंक '18' के स्थान पर अंक '10' स्थापित किए जाएं।
3. अनुसूची—तीन तथा अनुसूची—चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"(अनुसूची–तीन)
(नियम 8 देखिए)
सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा तथा पात्रता

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु–सीमा	अधिकतम आयु–सीमा	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताऐं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	लिपिकवर्गीय				
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन)	1.आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	18 वर्ष	40 वर्ष	1. राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से हायर सेकेण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. निम्नलिखित में से किसी संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा – (क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त कोई विश्वविद्यालय (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त कोई मुक्त विश्वविद्यालय (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (घ) शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स (ङ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.वी.टी.) से एक वर्षीय (कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्टिेंट) कोपा प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम ऊपर उल्लिखित पात्रता के स्थान पर निम्न अर्हताएं भी मान्य होंगी:– (1) बी.ई. (सी.एस./ आई.टी.) /एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी (आई.टी/सी.एस.)/बी.एस.सी. (आई.टी/सी.एस.)/एम.टेक/एम.ई. इत्यादि। (2) कम्प्यूटर साफ्टवेयर/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इफेक्टिवनेस टेक्नोलॉजी इत्यादि में पालीटेक्निक डिप्लोमा (3) 20 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड) (4) किसी मान्यताप्राप्त संस्था/परिषद् से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	
	2. कनिष्ठ लेखापाल	18 वर्ष	40 वर्ष	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, लेखा परीक्षा उतीर्ण की हो तथा लेखा कार्य का पांच वर्ष का अनुभव हो	

	3. सहायक ग्रेड–तीन या डाटा एंट्री ऑपरेटर (औषधि) या कम्पयूटर ऑपरेटर (औषधि प्रयोगशाला)	18 वर्ष	40 वर्ष	1. सरकार या माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से हायर सेकेन्ड्री (10+2) 2. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी से एक वर्षीय कम्पयूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है – (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पालीटेक्निक कॉलेज से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स। (पांच) शासकीय आई.टी.आई से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपेरटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) प्रमाण पत्र। ऊपर उल्लिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अतिरिक्त निम्न भी मान्य होगा,– (1) बी.ई. (सी.एस.ई / आई.टी.) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए / एम.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस) एम.टेक / एम.ई. इत्यादि। (2) कम्प्यूटर साफ्टवेयर / कम्प्यूटर एप्लीकेशन और इफेक्टिवनेस टेक्नोलॉजी इत्यादि में एआईसीटीई से अनुमोदित पालीटेक्निक डिप्लोमा।	

			(3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) प्रमाण–पत्र (स्कोर कार्ड)	
4. वाहन चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	1. शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से हाईस्कूल (10+2)। 2. व्यावसायिक वाहन चालन अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लायसेन्स) (एमएसव्ही) 3. वाहन चालन में 5 वर्ष का अनुभव	
5. प्रयोगशाला परिचारक	18 वर्ष	40 वर्ष	मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से हाई स्कूल (10+2) उत्तीर्ण।	
6. भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	
7. सफाई कर्मचारी	18 वर्ष	40 वर्ष	5वीं कक्षा उत्तीर्ण	
कार्यपालिक				
8. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी अथवा गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	
9. सहायक लोक अभियोजक	18 वर्ष	40 वर्ष	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि 2. औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940/नियम, 1945 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006/नियम/विनियम, 2011 का ज्ञान;	

				3. अभियोजन का तीन वर्ष का अनुभव।	
	10. औषधि निरीक्षक	18 वर्ष	40 वर्ष	विधि द्वारा भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से क्लीनिकल फार्माकोलोजी या माइक्रो बॉयोलोजी में विशेषज्ञता के साथ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या मेडिसिन में उपाधि	कोई व्यक्ति, जिसका औषधि या कॉस्मेटिक के आयात, विनिर्माण या बिक्री में कोई वित्तीय हित नहीं हो, औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा
	11. खाद्य सुरक्षा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव–रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डाक्टरेट उपाधि। **या** केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यताप्राप्त अर्हता।	कोई व्यक्ति, जिसका खाद्य की, किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित न हो, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
तकनीकी					
	12. सहायक औषधि विश्लेषक/औषधि विश्लेषक/विज्ञान सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी विज्ञान स्नातक या बी. फार्मा।	

	13. सहायक लोक विश्लेषक / रसायनज्ञ ग्रेड–दो / सहायक रसायनज्ञ	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी विज्ञान स्नातक।	
	14. सहायक माइक्रोबॉयोलोजिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से माइक्रो बॉयोलॉजी में द्वितीय श्रेणी विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी)।	
	15. प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से (10+2) प्रणाली के अधीन विज्ञान विषय सहित हायर सेकेण्ड्री।	
	16. एनीमल केयर टेकर	18 वर्ष	40 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से (10+2) प्रणाली के अधीन विज्ञान विषय सहित हायर सेकेण्ड्री।	

टीपः सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा पदों के भरे जाने के लिए आयु सीमा तथा छूट, निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए अनुसार होगी। साथ ही राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

सामान्य प्रशासन विभाग का संदर्भ एवं पदो के प्रकार	**अभ्यर्थियों की श्रेणी / संवर्ग**	**मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर अन्य पदों के भरे जाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु–सीमा**
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–8 / 2016 / 3–एक, दिनांक 04–07–2019 **सिविल पदों के लिए**	खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती के पदों के लिए	**18 से 40 वर्ष**
	अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / शासकीय निगम / आयोग / स्वशासी निकाय के कर्मचारी / नगर सैनिक / निःशक्तजन / महिला (आरक्षित / अनारक्षित)	**18 से 45 वर्ष (उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)**

अनुसूची—चार

(नियम 14 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पदों पर पदोन्नति

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (नियम—13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		लिपिकवर्गीय		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन)	सहायक ग्रेड—एक	अधीक्षक	5 वर्ष	संयुक्त नियंत्रक तथा अध्यक्ष या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समकक्ष नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा डीपीसी आयोजित की जाएगी — **अध्यक्ष**
	कनिष्ठ लेखापाल/ सहायक ग्रेड—दो (यू डी सी) संवर्ग	सहायक ग्रेड—एक	3 वर्ष	—तदैव—
	सहायक ग्रेड—दो (यूडीसी) संवर्ग	कनिष्ठ लेखापाल	3 वर्ष लेखा परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को अधिमान्यता दी जाएगी।	—तदैव—
	सहायक ग्रेड—तीन	सहायक ग्रेड—दो संवर्ग	5 वर्ष	—तदैव—
	भृत्य	सुपरवाइजर	5 वर्ष	—तदैव—
	भृत्य	सहायक ग्रेड—तीन	5 वर्ष	—तदैव—
	भृत्य	प्रयोगशाला परिचारक	5 वर्ष	—तदैव—

		तकनीकी (खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला)			
		सहायक लोक विश्लेषक / रसायनज्ञ ग्रेड–दो / सहायक रसायनज्ञ	रसायनज्ञ ग्रेड–एक	3 वर्ष	संयुक्त नियंत्रण तथा अध्यक्ष या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले समकक्ष नामनिर्दिष्टि किसी अधिकारी द्वारा डीपीसी आयोजित की जाएगी – **अध्यक्ष**
		लैब टैक्नीशियन	सहायक लोक विश्लेषक / रसायनज्ञ ग्रेड–दो / सहायक रसायनज्ञ	3 वर्ष	–तदैव–
		प्रयोगशाला सहायक	लैब टैक्नीशियन	3 वर्ष	–तदैव–
		प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ–श्रेणी)	प्रयोगशाला सहायक	5 वर्ष	–तदैव–
		तकनीकी (औषधि परीक्षण प्रयोगशाला)			
		सहायक औषधि विश्लेषक / औषधि विश्लेषक / विज्ञान सहायक	सहायक औषधि विश्लेषक	3 वर्ष	–तदैव–
		तकनीकी सहायक	सहायक औषधि विश्लेषक / औषधि विश्लेषक / विज्ञान सहायक	3 वर्ष	–तदैव–
		प्रयोगशाला सहायक	तकनीकी सहायक	3 वर्ष	–तदैव–
		प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ–श्रेणी)	प्रयोगशाला सहायक	5 वर्ष	–तदैव–।"।

Dated 18th January, 2024

NOTIFICATION

R-2696-2020-xvii-Med -1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Contitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Food and Drug Administration (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2022, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In the Hindi version, in sub-rule (1) of rule 1, in the title of the rules, for the figure '2020', the figure '2022' shall be substituted.
2. In the Hindi version, in Schedule-I, in the context of Technical (Drugs Testing Laboratory), in serial number 8, in column number (3), for the figure '18', the figure '10' shall be substituted.
3. For Schedule-III and Schedule-IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"(Schedule -III)

(see rule 8)

Age-limit and eligibility for direct recruitment

Name of Department	**Name of post**	**Minimum age-limit**	**Maximum age-limit**	**Required educational qualifications**	**Remarks**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
			Ministerial		
Public Health and Family Welfare Department (Madhya Pradesh Food and Drug Administration)	1. Stenographer	18 years	40 years	1. Must have passed Higher Secondary (10+2) from any Institute recognized by the State Government. 2. One year computer diploma from any of t	

				(a) any university recognized by the UGC (b) any open university recognized by the UGC (c)DOEACC (d) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College (e) one year certificate course (Computer Operator and Programming Assistant) COPA from NCVT or SCVT Instead of above said eligibility, the following qualifications also shall be acceptable- (1) B.E. (CS/IT) /M.C.A. / B.C.A./ M.Sc. (IT/CS)/B.Sc. (IT/CS) / M.Tech /M.E., etc. (2) Polytechnic Diploma in Computer Software / Computer Application and Effectiveness Technology, etc.	

				(3) CPCT score card organized by the Science and Technology Department with the speed of 20 words per minute (4) Must have passed Hindi Stenography Examination from any recognized Institution / Council	
	2. Junior Accountant	18 years	40 years	Bachelor degree from recognized university having passed Accounts examination and 5 years of experience in accounting.	
	3. Assistant Grade-III or Data Entry Operator (Drugs) or Computer Operator (Drug Lab)	18 years	40 years	1. Higher Secondary (10+2) from any institute recognized by the Government or Board of Secondary Education. 2. It is compulsory to pass one year computer diploma from one of the following recognized Institutions- (i) Diploma from any University recognized by UGC.	

				(ii) Diploma from any Open University recognized by UGC. (iii) Diploma level examination from DOEACC. (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College. (v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate from Government ITI. In addition to the computer diploma with the above mentioned recognized Institution, the following shall also be acceptable- (1) B.E. (CSE/IT)/ M.C.A./ B.C.A./ M.Sc. (IT/CS)/ B.Sc.(IT/CS)/ M.Tec. /M.E. and so on. (2) AICTE approved Polytechnic Diploma in Computer Software/	

				Computer Application and Effectiveness Technology, etc. (3) CPCT score card organized by Science and Technology Department.	
	4. Driver	18 years	40 years	1. High School (10+2) from any Institute recognized by the Government. 2. Commercial Driving Licence (LMV) 3- 5 years of experience in Driving	
	5. Lab Attendant	18 years	40 years	Must have passed High School (10+2) from any Institute recognized by the Government of Madhya Pradesh.	
	6. Peon	18 years	40 years	8th standard passed	
	7. Sweeper	18 years	40 years	5th standard passed	
	Executive				
	8. Assistant Statistical Officer	18 years	40 years	Master Degree in Economics or Statistics or Mathematics from any recognized University	
	9. Assistant Public Prosecutor	18 years	40 years	1. Bachelor degree in law from a recognised University. 2. Knowledge of Drugs and Cosmetics Act, 1940/ Rules	

				1945 and Food Safety and Standards Act, 2006/ Rules/ Regulations, 2011 3. Three years experience of prosecution.	
	10. Drugs Inspector	18 years	40 years	Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialisation in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by law.	Any person who has no financial interest in the import manufacture or sale of drugs or cosmetics shall be appointed as Drugs Inspector
	11. Food Safety Officer	21 years	40 years	1. Bachelor's or Master's or Doctorate Degree in Food Technology or Dairy or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Science or Bio-Chemistry or Microbiology or Chemistry or Medicine from a recognized University. Or 2. Any other equivalent/ recognized qualification notified by the Food Authority with the prior approval of the Central Government.	Any person who has no financial interest in the manufacture, import or sale of any article of food shall be appointed as Food Safety Officer.

	Technical				
	12. Assistant Drugs Analyst/ Drugs Analyst / Science Assistant	18 years	40 years	Second division Science Graduate in Chemistry or B.Pharma from a recognized University.	
	13. Assistant Public Analyst/ Chemist Grade-II/ Assistant Chemist	18 years	40 years	Second division Science Graduate in Chemistry from a recognized University.	
	14. Assistant Microbiologist	18 years	40 years	Second division Science Graduate (B.Sc.) in Microbiology from a recognized University.	
	15. Laboratory Assistant	18 years	40 years	Higher Secondary with Science subject under (10+2) pattern from any Institution recognized by the Board of Secondary Education.	
	16. Animal Care Taker	18 years	40 years	Higher Secondary with Science subject under (10+2) from any Institution recognized by the Board of Secondary Education.	

Note:- According to the instructions of General Administration Department, the age-limit and relaxation to fill the posts by direct recruitment shall be as shown in the following table. Simultaneously it is necessary to have living registration in the employment exchange of the State.

Reference of GAD and kind of.posts	**Class/Cadre of candidates**	**Minimum and maximum age limit to fill the other posts beyond Madhya Pradesh Public Service Commission**
GAD's circular C-3-8/2016/3-I dated 04-07-2019 **For civil posts**	For the posts of direct recruitment by open competition	**18 to 40 years**
	SC/ST/OBC/employees of Government/ Corporation/Commission/Autonomous Body/ Home Guard/ Disabled/Women (Reserved/Un-reserved)	**18 to 45 years** **(relaxation of 5 years in upper age limit)**

Schedule-IV

(see rule 14)

Promotion on the posts included in service

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Requisite experience	Member of Departmental Promotion Committee (rule-13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Public Health and Family Welfare Department (Madhya Pradesh Food and Drug Administration)	**Ministerial**			
	Assistant Grade-I	Superintendent	5 Years	Joint Controller and DPC organized by the Chair person or an equivalent nominated officer representing Scheduled Castes /Scheduled Tribes category. **-Chairman**
	Junior Accountant/ Assistant Grade-II (UDC) cadre	Assistant Grade-I	3 Years	--do--
	Assistant Grade-II (UDC) cadre	Junior Accountant	3 Years. Preference shall be given to person having passed Accounts examination	--do--
	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II cadre	5 Years	--do--
	Peon	Supervisor	5 Years	--do--

	Peon	Assistant Grade-III	5 Years	--do--
	Peon	Lab Attendant	5 Years	--do--
	Technical (Food testing Laboratory)			
	Assistant Public Analyst/ Chemist Grade-II/ Assistant Chemist	Chemist Grade-I	3 Years	Joint Controller and DPC organized by the Chair person or an equivalent nominated officer representing Scheduled Castes /Scheduled Tribes category. **-Chairman**
	Lab Technician	Assistant Public Analyst/ Chemist Grade-II/ Assistant Chemist	3 Years	--do--
	Lab Assistant	Lab Technician	3 Years	--do--
	Lab Attendant (Class-IV)	Lab Assistant	5 Years	--do--
	Technical (Drug testing Laboratory)			
	Assistant Drug Analyst/ Drug Analyst / Science Assistant	Assistant Drug Analyst	3 Years	--do--
	Technical Assistant	Assistant Drug Analyst/ Drug Analyst / Science Assistant	3 Years	--do--
	Lab Assistant	Technical Assistant	3 Years	--do--
	Lab Attendant (Class-IV)	Lab Assistant	5 Years	--do--.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन, उपसचिव.